राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद्
RAJASTHAN MEDICAL COUNCIL

सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001(राज0)

Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur-302001(Raj.)

Visit us at :- rmcjaipur.org दूरभाष/Phone No.:- 0141-2225102, 2221734 ई–मेल/E-mail:- rajmedcouncil@yahoo.in

कमांकः– आर.एम.सी./एस/2018/6005 दिनांक 24/5/2018

खुली निविदा सूचना

कौंसिल को डेस्कटॉप कम्प्यूटर, एम0एफ0 लेजर प्रिंटर व यू0पी0एस0 कय करने हेतु विनिर्माता/वितरक/डीलर द्वारा निविदाएँ (तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव) आमंत्रित की जाती है। निविदा के संबध में सूचना कार्यालय की अधिकृत वेबसाइट www.rmcjaipur.org./www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है और डाउनलोड की जा सकती है। जिसके लिये निविदा प्रपत्र राशि रु.400/– का डी. डी. निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

Jrodi 24/05/18

रजिस्ट्रार

राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद्
RAJASTHAN MEDICAL COUNCIL

सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001(राज0)

Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur-302001(Raj.)

Visit us at :- rmcjaipur.org दूरभाष/Phone No.:- 0141-2225102, 2221734 ई–मेल/E-mail:- rajmedcouncil@yahoo.in

क्रमांकः– आर.एम.सी./एस/2018/6005 दिनांक 24/5/2018

खुली निविदा सूचना

कौंसिल को डेस्कटॉप कम्प्यूटर, एम0एफ0 लेजर प्रिंटर व यू0पी0एस0 क्रय करने हेतु विनिर्माता/वितरक/डीलर द्वारा निविदाएँ (तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव) आमंत्रित की जाती हैः–

क0सं0	सामग्री	अनुमानित संख्या	अनुमानित राशि	बिड प्रतिभूति राशि
1	डेस्कटॉप कम्प्यूटर	15	850000/–	17000/–
2	एम0एफ0 लेजर प्रिंटर	15	300000/–	6000/–
3	यू0पी0एस0 10 के0वी0ए0	01	350000/–	7000/–
			1500000/–	30000/–

निविदा के संबध में सूचना कार्यालय की अधिकृत वेबसाइट www.rmcjaipur.org./www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से कार्यालय समय में राशि रू.400/–(चार सौ रूपये मात्र) बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट (नकद राशि स्वीकार नहीं होगी) द्वारा जो रजिस्ट्रार राजस्थान मेडिकल कौंसिल जयपुर के पक्ष में देय हो, प्राप्त किये जा सकते हैं और निर्धारित निविदा प्रपत्र उपरोक्त वर्णित वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है तथा निविदा प्रस्तुत किये जाने पर निविदा शुल्क रु. 400/– का डी.डी तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जा सकता है। अद्योहस्ताक्षरकर्ता को बिना कोई कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।

24/05/18

रजिस्ट्रार

राजस्थान मेडिकल कौंसिल

जयपुर।

24/05/18

REGISTRAR

Rajasthan Medical Council

JAIPUR

राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद
RAJASTHAN MEDICAL COUNCIL
सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001(राज0)
Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur-302001(Raj.)
Visit us at :- rmcjaipur.org दूरभाष/Phone No.:– 0141-2225102, 2221734 ई–मेल/E-mail:- rajmedcouncil@yahoo.in

क्रमांकः– आर.एम.सी./एस/2018/6005 दिनांक 24/5/2018

निविदा फार्म शुल्क : 400/– रूपये

निविदा राशि : रू. 15,00,000/– (अनुमानित)

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक 11.06.2018 को अपरान्ह 3:00 बजे तक

भरी हुई निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 12.06.2018 को प्रातः 11:00 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक 12.06.2018 को मध्यान्ह 12:00 बजे

निविदा खोलने का स्थान : कार्यालय रजिस्ट्रार राजस्थान मेडिकल कौंसिल

22 गोदाम सर्किल, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम

जयपुर–302001

----------XXXXXXXXXX----------

24/05/18

REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

खुली निविदा प्रपत्र

निविदादाता द्वारा घोषणा

निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूरा पताः–

....

....

....

सेवा में,

रजिस्ट्रार
राजस्थान मेडिकल कौंसिल
जयपुर।

संदर्भः– डेस्कटॉप कम्प्यूटर, एम0एफ0 लेजर प्रिटंर व यू0पी0एस0 कय करने के कम में।

1. निविदा शुल्क की रकम 400/– रुपये जमा करा दी गई है/संलग्न है।
   बैंक ड्राफट संख्या .... दिनांक ....
2. निविदा सूचना संख्या .... दिनांक............ जो रजिस्ट्रार राजस्थान मेडिकल कौंसिल, जयपुर के द्वारा जारी की गई, में वर्णित समस्त शर्तो को हमारें द्वारा अच्छी तरह से पढकर समझ लिया है और पालन करने के लिये सहमत है तथा उक्त निविदा की सूचना की अन्य शर्तो जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है, का भी पालन करने के लिसे हम सहमत है।
3. जिस सामग्री का मेक या ब्रांड नेम आदि देना है तो मेक या ब्रांड नेम भी अंकित है।.
4. धरोहर राशि हेतु रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कौंसिल, जयपुर के पक्ष में ..../– रुपये का बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक नम्बर................ दिनांक............ संलग्न है।
5. जीएसटी प्रमाण पत्र इसके साथ प्रस्तुत हैं।
6. यह कि इस निविदा के संबध में सलग्न शर्ते हमारें द्वारा अच्छी तरह से पढकर समझ लिया है, जिसके परिणाम स्वरुप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है। मैं/हम उन शर्तो की पालना करने के लिये वचनबद्व हूँ/है।
7. यह की इस निविदा के तहत् अनुबन्ध होने पर निविदा में सप्लाई किये जाने वाले उपकरणों की दरों के अलावा किसी प्रकार का भुगतान नही किया जावेगा।
8. उक्त निविदा को आंशिक रुप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कौंसिल, जयपुर का होगा।
9. कय की जाने वाली वस्तु के लिये निर्माता/डीलर/विनिर्माता होने का घोषणा पत्र संलग्न है।
10. निविदा में अनुमोदित दरें कार्य आदेश किये जाने से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी, जिसे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 73 और 29 के अनुसार बढाई जा सकेगी।

24/05/18.
REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

11. यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।

12. जिन सामान की कीमत पर जी0एस0टी0 अलग से देय है उसका उल्लेख दरों में किया जावें। जिस सामान की दरें जी0एस0टी0 सहित है उसका स्पष्ट उल्लेख दरों के साथ किया जावें।

13. (क) आपूर्ति की जाने वाले उपकरण की अनुमानित मात्रा व स्पेशिफिकेशन जारी निविदा के अनुसार है।
(ख) सप्लाई की जाने वाले उपकरण की दरें अलग वित्तिय निविदा में अंकित की गई है, उक्त वित्तिय निविदा प्रपत्र को अलग से वित्तिय निविदा के लिफाफें में बन्द किया गया है।

14. कय आदेश दिये जाने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के भीतर फर्म द्वारा उपकरण की सुपुर्दगी की जायेगी। विभाग को तत्काल आवश्यकता होने पर कय आदेश के 50 प्रतिशत सामान की आपूर्ति 2 दिवस में की जानी होगी। माल की सुपुर्दगी समय–समय पर दिये गये आदेशानुसार निर्धारित समय में की जावेगी।

15. **परिसमापित नुकसानी:–** परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जायेगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है:– (इस संबध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्त ही लागू होगी।)

(1)	**(क)**	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये	2 ½%
	(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिये	5%
	(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिये	7 ½%
	(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये	10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जायेगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

16. **परिशिष्ट पर उल्लेखित चैक लिस्ट के अनुसार निविदा को तकनीकी/स्पेशिफाईड रुप से तुलनात्मक विवरण के आधार पर परीक्षण व जॉचा जायेंगा।**

संलग्न:–

1.

2.

3.

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

24/05/18
REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

खुली निविदा की शर्ते

1. रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कौंसिल, जयपुर में उपयोग के लिये अनुमानतः डेस्कटॉप कम्प्यूटर मात्रा–15, एम0एफ0 लेजर प्रिटंर मात्रा–15 व यू0पी0एस0 मात्रा–15 कय करने की दर संविदा हेतु बोलीदाता को वेबसाइट www.rmcjaipur.org./www.sppp.rajasthan.gov.in से निविदा प्रपत्र को डाउनलोड किया जा सकता है, निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रस्तुत किये जाने पर निविदा शुल्क रु0.400/– का बैंक ड्राफट निविदा के साथ रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कौंसिल, जयपुर के पक्ष में प्रस्तुत करना आवश्यक है। निविदा प्रथम भाग में तकनीकी बोली प्रस्ताव एंव द्वितीय भाग वित्तिय बोली प्रस्ताव होगें। **निर्धारित निविदा प्रपत्र पर प्रस्तुत निविदाएं ही मान्य होगी। निर्धारित प्रपत्र कार्यालय की अधिकृत वेबसाइट www.rmcjaipur.org./www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।**
2. तकनीकी बोली अंकित दिनांक व समय पर बोलीदाताओं की उपस्थिति में और बोलीदाता के नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी। तकनीकी मूल्यांकन चैक लिस्ट अनुसार प्रकिया की योग्यता बोलियां पूर्ण करने पर ही वित्तिय निविदा के मूल्यांकन के लिये आगे–विचार किया जायेगा/खोली जायेगी। वित्तिय बोली हेतु तकनीकी रुप से सफल/योग्य बोली लगाने वालो को बाद में सूचित किया जायेगा जो अलग तारीख और समय पर तकनीकी रुप से योग्य बोलीदाताओं/नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी।
3. बोलीदाताओं को बोली प्रतिभूति राशि डिमांड ड्राफट या बैंकर चैक के द्वारा ही रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कौंसिल, जयपुर के पक्ष में जमा करानी होगी।
4. यदि कोई शुद्विपत्र वेबसाइट www.rmcjaipur.org. पर प्रकाशित किया जाता है तो, वह इस बोली/निविदा का एक हिस्सा होगा। बोलीदाता को बोली से संबधित अद्यतन जानकारी के लिये नियमित रुप से इस वेबसाइट को देखना चाहियें।
5. प्रस्तुत दरें कार्य आदेश की दिनांक से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया जा सकेगा तथा समस्त सामग्री के कयादेष मांग के अनुसार दिये जा सकते है, मांग कम या अधिक संभव है।
6. निविदा प्रपत्र में वर्णित सामग्री के साथ केटलॉग आदि संलग्न करे तथा संलग्न प्रपत्रों पर स्पेशिफिकेशन अंकित करते हुये हस्ताक्षर करें।
7. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।

24/05/18
REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

8. सामग्री सूची के अनुसार कार्यालय के भण्डार तक आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस में आपूर्ति करनी होगी।

9. दरें स्वीकृत होने के उपरान्त क्रयादेष के बाद फर्म को निर्धारित धरोहर राशि जमा करानी होगी और साथ में नॉन ज्युडिशल स्टाम्प पेपर पर 3 दिवस के अन्दर स्वंय के खर्चे पर अनुबंध निष्पादित करना होगा, अमानत राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा, धरोहर राशि, डी.डी./बैंकर्स चैक के रुप में स्वीकार होगा व धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। धरोहर राशि, निविदा कार्य निर्विवाद सम्पन्न होने पर पुनः देय होगी।

10. वित्तिय निविदा में जिन सामग्रियों की दरें दी गई है के सम्बन्ध में अधिकृत डीलर/निर्माता कम्पनी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अधिकृत प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

11. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नं0 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

12. विवरण में दिये गये मेक/स्पेशिफिकेशन के अलावा अन्य स्पेशिफिकेशन की सामग्री की दरें मान्य नहीं होगी।

13. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहॉ आवश्यक हो वहां सामान्य वित्तिय एंव लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशाली होगें।

14. यदि उपापन समिति आवश्यक समझती है तो निविदादाताओं को नैगोसियेशन हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा।

15. निविदा की दरें शब्दों एंव अंको में प्रस्तुत करनी होगी तथा किसी भी कटिंग पर निविदादाता को लघु हस्ताक्षर करने होगें। अंको एंव शब्दों की दरों में अन्तर होने पर शब्दों की दरें मान्य होगी। ऊपरिलेखन मान्य नहीं होगा।

16. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर रहेगा।

17. जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मो की ही निविदायें स्वीकार्य होगी।

18. ऐसी कम्पनी/फर्म/निविदादाता जिसे पूर्व में ब्लैक लिस्ट घोषित किया गया हो वह निविदा में भाग नहीं ले सकेगें। Affidavit संलग्न करें।

19. निविदा प्रपत्र में वर्णित सूचना असत्य पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

20. रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कौंसिल, जयपुर को निविदा प्रकिया किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. किसी भी विवाद की स्थिति होने पर अमानत राशि/धरोहर राशि के संबध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशील रहेगें।

24/05/18

REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

22. आपूर्ति विलम्ब होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के अनुसार परिनिर्धारित नुकसान LIQUIDATED DAMAGE की वसूली की जावेगी जो 2.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक होगी।

23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

24. संवदेक को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। सामग्री आपूर्ति एंव इन्साटालेशन करने के बाद जॉच में सही पायें जाने पर अनुमोदित दरों पर नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।

25. निविदा के साथ संलग्न घोषणा (SR11) पर हस्ताक्षर करने होगें।

26. निविदादाता को नियमानुसार धरोहर राशि जमा करानी होगी।

27. तकनीकी रुप से समक्ष निविदादाताओं से यदि क्रय समिति द्वारा क्रय योग्य सामग्री के सैम्पल मांगे जाते है तो निविदादाता को तीन दिवस में सैम्पल उपलब्ध कराने होगें।

28. बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर व लघु उद्योग विभाग उन पदो के संबध में जिसके लिये वे इस रुप में रजिस्ट्रीकृत है, सामान का क्रय (राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम 8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड एआर) विभाग के आदेश क्रमांक पं1(1)वित्त/सा0नि0लेनि0/2007 दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 में वर्णित है के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगा।

29. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता नियम 2013 के उपनियम 29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, गिरने के खण्ड अध्यधीन होगी। कीमत गिरने संबधी खण्ड दर संविदा के निबंधनों और शर्तो में सम्मिलित किया जावेगा। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा कियाविधी हैं और यह उपबन्ध करता है कि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामान माल,संकर्मो या सेवायें देने के लिये उसकी कीमत कट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त पहरदान के लिये हर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः समाप्त हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करने अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुये पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिये 15 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर, दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर

REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

दर संविदा धारक फर्मो और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिये संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने हेतु सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यव्हार नहीं किया जायेगा।

30. विशेष परिस्थितिओं में राज0 लोक उपापन में पारदिर्शिता नियम 2013 के नियम 74 के अनुसार कार्य विभाजित किया जा सकेगा।

31. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 व निमय 2013 प्रभावशील है। उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहॉ आवश्यक हो सामान्य वित्तिय एंव लेखा नियमों के नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित अधिनियम 2012 व नियम 2013 के नियम उक्त निविदा पर प्रभावशील होगें।

32. सफल निविदाकार को नियमानुसार निर्धारित प्रारुप में 1000/– रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार/अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा और कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जो कार्यादेश राशि का 5 प्रतिशत होगी अनुबंध के साथ जमा करवानी होगी। प्रतिभूति की रकम पर विभाग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। करार को पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने के व्ययों का संदाय निविदाकार करेगा, यदि निविदाकार प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने या निहित कालावधि में करारनामा निष्पादित करने मे विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने की स्थिति में धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि विभाग द्वारा पूर्णतः या आशयः जमा जब्त कर ली जावेगी और इस संबंध में निविदाकार का निर्णय अन्तिम होगा।

निविदादाता/बिडदाता के हस्ताक्षर
मय फर्म सील

24/05/18.
REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

खुली निविदा के लिये निविदा एंव संविदा की शर्ते

1. **निविदा प्रपत्र दो भागों में है प्रथम भाग तकनीकी बिड है तथा द्वितीय भाग वित्तीय बिड है। निविदाकार तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड को अलग–अलग लिफाफों में सील बन्द करें एवं लिफाफे के ऊपर स्पष्ट लिखे कि तकनीकी बिड वाला लिफाफा /वित्तीय बिड वाला लिफाफा तथा इन लिफाफों को एक बडे लिफाफे में बंद करके निविदा प्रस्तुत की जाए।** लिफाफों पर निविदा का नाम खोलने की तिथि एवं समय तथा निविदाकार का नाम व पूर्ण पता अवश्य अंकित किया जावें। **कृपया ध्यान रखा जावें कि तकनीकी बिड के लिफाफे में यदि वित्तीय दरें आदि किसी भी कारण से दृ**ष्टिगत होती है तो ऐसी निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा। निविदा लिफाफों पर डेस्कटॉप कम्प्यूटर, एम0एफ0 लेजर प्रिटंर व यू0पी0एस0 की आपूर्ति हेतु निविदा का स्पष्ट अंकन किया जावें।
2. **वास्तविक डीलरों द्वारा निविदायें:–** निविदाये मालो के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे एसआर0 प्रारुप–11 में घोषणा प्रस्तुत करेगें।
    a. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में फर्म/ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिर्वतन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
    b. संविदा के संबध में फर्म किसी भी नये भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जावेगा जब तक कि वे किसी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एंव क्रेता अधिकारी को इस संबध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रुप में स्वीकार की गयी किसी भागीदारी की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रुप से उन्मुक्ति (डिचार्ज) होगी।
3. **जी0एस0टी0 पंजीयन एंव शोधन प्रमाण पत्रः–** कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो उसकी निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।
4. निविदा प्रारुप स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो की स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
    a. दरें शब्दों एंव अंको दोनो में लिखी जावेगी। इसमें कोई त्रुटियां एंव /या उपरिलेखन नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्वियॉ करनी हो तो स्पष्ट रुप से की जानी चाहिये

24/05/18
REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

एंव दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किया जाना चाहियें। दरें समस्त प्रकार के करों सहित प्रस्तुत की जानी चाहियें।

b. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ0ओ0आर0 उद्धत की जानी चाहिये तथा उसमें सभी आनुषांगिक प्रभारो को शामिल करना चाहियें। स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिये।

c. विद्युत उपकरणों में उर्जा दक्ष उत्पादों की वरीयता दी जावेगी।

5. **विधि मान्यताः–** अनुमानित दरें एक वर्ष तक की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।

6. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तु की दशा, स्पेशिफिकेशन, साईज, मैंक एंव ड्राईंग्स आदि की सावधानी पूर्वक जॉच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भी भाग, स्पेशिफिकेशन, ड्राईंग्स आदि के आशय के बारे में कोई संदेह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसें केता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

7. आपूर्तिकर्ता फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सोपेगा या Sublet नहीं करेंगा।

8. **विनिर्देषः–**

a. प्रदाय की गई सभी वस्तुये निविदा में निर्धारित स्पेशिफिकेशन ,ट्रेड मार्क के पूर्णतया अनुरुप होगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई0एस0आई0 स्पेशिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरुप से उन स्पेशिफिकेशन के अनुरुप होना चाहिये तथा उस पर वहां मार्क होना चाहियें।

b. सूची पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय अन्य बातों के साथ अनुमोदित प्रपत्रों के ठीक अनुरुप होगा तथा अन्य प्रदार्थो के मामले में जहा कोई स्तरीयकृत या अनुमोदित नमूने/प्रपत्रों में नहीं हो, अत्युत्तम गुणवत्ता एंव विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। केताधिकारी/केता समिति का इस संबध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तु स्पेशिफिकेशन के अनुरुप तथा क्या वे सैम्पल, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिये अन्तिम व मान्य होगा।

c. **वारंटी एंव गारंटी का खण्डः–** निविदादाता यह गांरटी देगा कि <u>माल/स्टोर्स/मशीनें/वस्तुयें/उपकरणों</u> खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स /मशीनें/ वस्तुओं की सुपर्दगी के दिनांक से One Year/Specify Period के लिये यथा विनिर्दिष्ट विवरण एंव गुणवत्ता के अनुरुप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद विकेता ने उक्त मालो/स्टोर्स/मशीनों/वस्तुओ/उपकरणों का निरीक्षण कर लिया

REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

हो एंव/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि–दिनों/माहों की उक्त अवधि में उक्त मालो/स्टोर्स/ मशीनों/वस्तुओं/उपकरणों को उपरोक्त विवरण एंव गुणवत्ता के अनुरुप नहीं पाया गया वे समाप्त हो गयें है (तथा उस संबध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा) तो केता उक्त मालो/स्टोर्स/मशीनों/वस्तुओं/उपकरणों को उन के उस भाग को जो उक्त विवरण एंव गुणवत्ता के अनुरुप नहीं पाये जायेंगे रद्द करने के लिये अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/मशीनों/वस्तुओ/उपकरणों विकेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबधित समस्त उपबन्ध लागू होगें। निविदादाता यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा गया तो वह उस माल आदि को या उस भाग को जिसे केता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिये भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शंर्त के उल्लधंन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबध में केता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

9. **निरीक्षणः–**

   a. केता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रकिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी विनिश्चत किया जायें, किसी भी समय मालो/स्टोर्स/मशीनों/वस्तुओं/उपकरणों की सामग्री एंव कर्मकौंशल का निरीक्षण एंव जॉच करने की शक्ति रखेगा।

   b. निविदादाता अपने कार्यालय के परिसर गोदाम का जहॉ पर निरीक्षण किया जा सकता है पूर्ण पता उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा।

10. **सैम्पलः–** अंकित वस्तुओं कें लिये निविदाओं के साथ उचित रुप से पैक की गई निविदित्त वस्तुओं के कैटलॉग प्रस्तुत किये जायेगें।

11. प्रत्येक सैम्पल या किसी स्लीप पर या तो लिख कर या नमूने के साथं एक मजबूत कागज सुरक्षित ढंग से बांधकर उसें उपयुक्त रुप से चिन्हित किया जायेगा तथा उस पर निविदादाता का नाम मद की कम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है आदि में लिखा जायेगा।

12. प्रस्तुत टेण्डर में यदि आवश्यक हो तो अनुमोदित सैम्पलो को संविदा के समाप्त होने के बाद 6 माह की अवधि तक निशुल्क रखा जायेगां इस अवधि में इन सैम्पलों को प्रतिधारित किया

24/05/18
REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

जायेगा। परन्तु उसमे किसी भी क्षति, टूट फूट परीक्षण जांच आदि के दौरान हानि के लिये कौंसिल उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा सैम्पलों को वापस लिया जायेगा। कौंसिल किसी भी रुप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई सैम्पल प्राप्त नहीं किये जाते है तो उन्हे कौंसिल द्वारा समपहृत कर दिया जायेगा तथा उनकी लागत आदि के लिये कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा।

13. प्रस्तुत टेंण्डर में यदि आवश्यक हो तो असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये नमूनों को इकट्ठा किया जायेगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है, उसमें किसी प्रकार की क्षति, टूट फूट या परीक्षण जॉच आदि के दौरान हानि के लिये कौंसिल उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूनें वापस नहीं किये जायेगें उन्हें समपहृत किया जायेगा। उनकी लागत आदि के लिये किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

14. प्रस्तुत टेण्डर में यदि आवश्यक हो तो सप्लाई जब भी प्राप्त की जायें उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि वे स्पेशिफिकेशन या अनुमोदित नमूनों के अनुरुप है। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्टित परीक्षण गृहों में कराया जायेगा तथा जहां पर सप्लाई किया गया सामान इन्हे परीक्षणों के परिणाम स्वरुप विहित स्पेशिफिकेशन के स्तर के अनुरुप पाया जायेगा, उन्हे स्वीकार किया जायेगा।

15. **प्रस्तुत टेण्डर में यदि आवश्यक हो तो सैम्पल निकालनाः–** परीक्षणों के मामलों में निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सैटो मे सैम्पल लिये जायेगें तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मोहरबन्द किया जायेगा। उनमें से एक सैट उन्हे दे दिया जायेगा या सैट सन्दर्भ एंव अभिलेख के लिये कार्यालय में प्रतिधारित किया जायेगा।

16. **प्रस्तुत टेण्डर में यदि आवश्यक हो तो परीक्षण प्रभारः–** परीक्षण प्रभार कौंसिल द्वारा वहन किये जायेगें। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई योग्य सामान विहित स्तरों या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।

17. **रद्द करनाः–**

    a. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुये अनुमोदित नहीं कि जायेगी उन्हे रद्द किया जायेगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें केता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपने स्वंय के लागत पर बदला जायेगा।

REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

b. तथापित यदि कौंसिल कार्य की तत्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रुप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य नहीं समझा जाये तो केता अधिकारी निविदादाताओं को सुनवाई किये जाने का उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें, अनुमोदित दरो में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा इस प्रकार की कटौती अन्तिम होगी। नियम समय तक अनुबंध का निष्पादन नहीं होने एंव उपकरणों की सप्लाई नहीं होने पर कार्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

c. रद्द की गई वस्तुओं को निविदादाता उन्हे रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 5 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि कमी या क्षति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एंव उसके मद्दे पर उन वस्तुओं को जिन्हे वह उचित समझे बेचने का अधिकार होगा।

18. निविदादाता उचित पैंकिग करने के लिये उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की समान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपर्दगी अच्छी दशा मे प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि, क्षति टूट फूट या रिसाव या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एंव कमी की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जायेगी।

19. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई केता अधिकारी की सतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है तो निविदादाता को सनुवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद केता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

20. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रुप से अपना पक्ष समर्थन कराना एंक प्रकार की अर्नहता होगी।

21. **सपुर्दगी अवधिः–**

a. निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी वह सप्लाई आदेश की तारीक से 15 दिवस की अवधि के भीतर कौंसिल में सामान की सप्लाई/इन्सटालेशन करने की व्यवस्था करेगा।

24/05/10
REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

b. यदि केता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है तो या निविदा प्रपत्र निर्दिष्टि मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

22. **बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी):–**

a. निविदा के साथ लागत का 2 प्रतिशत रुपये की बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि लागत की 2 प्रतिशत रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कौंसिल, जयपुर के पक्ष में बैंक का बैंक ड्राफट / बैंकर्स चैक में से किसी भी रुप में जमा कराई जानी चाहियें।

b. बयाना राशि का प्रतिदायः– असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रुप से स्वीकार करने के बाद यथाशीघ्र लौटायी जायेगी।

c. बयाना राशि से छूट–उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग विभाग राजस्थान जयपुर के पास पंजीकृत है उन मदों के संबध मे जिनके लिये वे उक्त रुप में रजिस्ट्रर्ड की गई है उनके द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करने पर निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाये गये निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 (एक) प्रतिशत की दर से बयाना राशि जमा करानी होगी।

d. केन्द्र सरकार एंव राजस्थान सरकार के उपक्रमो को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

23. **बयाना राशि का समपहरणः–** बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जावेगाः–

a. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।

b. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार को निष्पादित नहीं करता है।

c. जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।

d. जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार सामग्री की सप्लाई प्रारम्भ करने मे असफल रहता हो।

24. **करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः–**

a. सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने से 3 दिन की अवधि के भीतर करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों–स्टोर्स के लिये निविदायें स्वीकार की गई

REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

है उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है 5 दिन के भीतर जमा करायी जायेगी।

b. निविदा के समय जमा करायी गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति राशि किसी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

c. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

d. प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैक द्वारा स्वीकार होगी।

e. एक समय पर खरीद के मामलें में क्रय आदेश के अनुसार मदों की अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिये संविदा के संतोषजनक रुप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारण्टी की अवधि यदि हो के कोई देय बकाया नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रदाय किया जायेगा।

f. निदेशक, उद्योग विभाग राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबध में जिनके लिये वे रजिस्ट्रर्ड है उनके द्वारा निदेशक, उद्योग विभाग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किये जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आशिंक छूट दी जायेगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।

g. केन्द्र सरकार एंव राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें।

h. राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 19.11.2015 के प्रावधान अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु, मध्यम औद्योगिक ईकाईयों के लिये Price preference/purchase preference के नियम लागू होगें।

25. **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः–** प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आशिंक रुप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा।

a. जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

b. जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

c. प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

26. करार पत्र को पूर्ण करने एंव उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा करार की निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत निशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

27. **बीमाः—**

a. सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जायेगें। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नष्ट या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पडा रहनें के कारण या अन्यथा—जैसे—युद्व,विद्रोह, दंगे आदि द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा कौंसिल से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

b. यदि केता द्वारा चाहा गया हो तो केता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जायेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव जीवन बीमा निगम या उसकी सहा0 शाखाओं से कराया जाना चाहियें।

28. **भुगतानः—**

a. किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

b. जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये सामान की सुपुर्दगी के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा केता अधिकारी को उचित प्रारुप में सा0 वि0 एंव ले0 नि0 के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेगें।

c. विवादास्पद मदों के संबध में राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा। जब वे परीक्षण कर लिये जायेगें तथा प्राप्त हुये परीक्षण परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरुप होगें।

29. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रुप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

30. **परिनिर्धारित क्षतिः—** पर क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामलें में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर मूल्यों के लिये की जायेगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है।

a. विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के लिये विलम्ब शुल्क — 2.5%

b. एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से कम के लिये — 5%

c. आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के 3 चौथाई से कम अवधि के लिय — 7.5%

24/05/18
REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

d. विहित अवधि की 3 चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये — 10%

e. विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जायेगा

f. परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि — 10%

31. यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण सविन्दार्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिये समय मे वृद्धि कराना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने, निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

32. यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

33. **वसूलिया:—** परिनिर्धारित क्षयों कम सप्लाई, टूट फूट रद्द की गई वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रुप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई, टूट फूट रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सतोंषजनक रुप से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय के साथ वसूली उसकी देय राशि एंव कौंसिल के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी0डी0आर0 एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

34. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिये अपनी स्वंय की व्यवस्था करनी चाहियें।

35. यदि निविदादाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रुप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत मे इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति पत्र में विशेष रुप से उल्लेखित न किया गया हों।

36. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रुप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है स्वीकार करने बिना कोई कारण बतायें किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिये निविदादाता ने निविदा दी है उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखेगा।

37. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्वावेज प्रस्तुत करेगा:—

a. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।

b. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

24/05/16
REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

38. यदि संविदा के निर्वचन आशय संविदा की शर्तो के उल्लघंन के संबध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रुप में अपने वरिष्ठतम उपाधिकारी क़ी नियुक्ति करेगा। यह उपाधिकारी इस संविदा से सम्बद्व नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

39. कम्प्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विन्डों में सॉफटवेयर एंव हार्डवेयर संबधी समस्त परेशानियों का निकारण फर्म द्वारा करना होगा।

40. कम्प्यूटर डेस्कटॉप पर 3 वर्षों की ऑन साईट वांरटी देनी होगी।

41. मैने / हमनें उक्त निविदा की समस्त शर्तो की शत प्रतिशत पालना किये जाने की सहमति के बतौर नीचें हस्ताक्षर कर दिये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

24/03/20
REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

Annexure-A

डेस्कटॉप कम्प्यूटर, एम0एफ0 लेजर प्रिटंर व यू0पी0एस0 कय करने हेतु
तकनीकी निविदा – चैक लिस्ट

उपापन सस्ंथा का नामः– रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कौंसिल, जयपुर।

निविदादाता का नाम व पता :– ....

....

....

1	निविदा प्रपत्र नेट से डाउनलोड किये जाने पर निविदाके साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 400/– ड्राफट संलग्न है/नहीं।	
2	निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि संलग्न है/नहीं।	
3	जी0एस0टी0 पंजीयन संख्या का स्वंय द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है/ नहीं।	
4	दिनांक 31.03.2018 तक का जी0एस0टी0 चुकता प्रमाण पत्र मय लेजर/रिर्टन की स्वंय की प्रमाणित प्रति संलग्न है/नहीं।	
5	आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर स्वंय द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है/नहीं।	
6	जिस कम्पनी का कम्प्यूटर सप्लाई की जावें उसके अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र स्वंय द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है/नहीं।	
7	तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा संबधित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वंय द्वारा प्रमाणित किये गये है/नहीं।	
8	फर्म के द्वारा वित्तिय वर्ष 2017–18 मे राजकीय विभागों/स्वायतशाषी संस्थाओं /बोर्ड/कॉरपोरेशन में उक्त सामग्री सप्लाई करने के अनुभव 10.00 लाख रुपयें का प्रमाण–पत्र स्वंय द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है/नहीं।	
9	फर्म द्वारा वित्तिय वर्ष 2017–18 में फर्म की ब्रिकी/टर्नऑवर रु. 10.00 लाख है/नहीं।	
10	अंकेक्षित लेखे स्वंय के द्वारा गत तीन वित्तिय वर्ष के प्रमाणित प्रति सलंग्न है/नहीं।	

निविदादाता के हस्ताक्षर

24/05/18

REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

Annexure-B

एस आर प्रारुप–11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैनें/हमने जिन मालो/सामानों/उपकरणों के लिये निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/ प्राधिकृत डीलर/डीलर/ सोल/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरुप से समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांक...

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम ....

पूर्ण पता...

....

टेलीफोन नं (निवास) ....

(दुकान) ....

24/05/13

REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our bid submitted to.................................. for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No......................... Dated .... I/we hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012 that:

1. I/we posses the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding document.
3. I/we are not insolvent, in receivership , bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceddings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair completion;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

24/05/10

REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

निविदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैनें/हमने जिन मालो/स्टोर्स/उपकरणों के लिये निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम राजस्थान की कुटीर/लघु उधोग ईकाई के रुप में निर्माता है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये जो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रुप से समपह्त कर लिया जावे तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द कर दिया जावें।

दिनांक...

निविदादाता के
हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम ....

पूर्ण पता...

....

टेलीफोन नं (निवास) ....

(दुकान) ....

Jnodh
24/05/19
REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

DECLARATION by the Bidder on Non judicial Rs.100 stamp paper Annexure-E

(To be filled by the Bidder) (Notary Attested)

To,

{Procuring entity},

In response to the NIB Ref. No.--- dated---------- for

{Project Title}, as an Owner/ Partner/ Director/Auth.Sign. Of

I/ We hereby declare that presently our

Company/ firm------------------------------- at the time of bidding,: -

a) possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

b) have fulfilled my/ our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

c) is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/ Central government/ PSU/ UT.

d) does not have any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years

e) does not have any debarment by any other procuring entity

f) is not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer, not have its business activities suspended and is not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

g) does not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement contract within aperiod of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

h) does not have a conflict of interest as mentioned in the bidding document which materially affects the fair competition.

i) will comply with the code of integrity as specified in the bidding document.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken as per the provisions of the applicable Act and Rules thereto prescribed by GoR, my/ our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Thanking you,

Name of the Bidder: - Authorised

Signatory: -

Seal of the Organization: Date:

Place:

24/05/16

REGISTRAR

Rajasthan Medical Council

JAIPUR

Desktop Computer Specification

S.No.	Feature	Specifications
1	Processor	Intel® 7th Generation Core i3 7100, 3.9 Ghz, 3 MB Cache or higher
2	Chipset	Compatible chipset to support the 7th Gen processor
3	Motherboard	OEM Motherboard with logo embossed (no sticker)
4	Memory	4 GB DDR 4 RAM expandable to 32GB; Two DIMM slots; Non-ECC dual-channel up to 2400 MT/s DDR4 SDRAM
5	Hard Disk Drive	1 TB HDD, 7200 RPM with pre failure alert indication
6	Optical Drive	8x DVD Writer
7	Graphics	Intel Integrated 630 Graphics
8	Audio	High Definition Integrated Audio with Internal Speaker
9	Ethernet	Integrated Gigabit (10/100/1000 NIC) LAN & inbuilt wifi
10	Slots	1 x PCIex16, 1xPCIex1, 1xPCI, 1 M.2
11	Bays	(2) 3.5" Internal drive bays (1) ODD bay
12	Ports	Minimum 8 USB Ports (4 USB 3.0, 4 USB 2.0) out of which 2 USB ports in front (1) VGA video port; (1) HDMI Port (1) RJ-45 network connector (1) RS-232 serial port 1 universal audio jack for headphone& MIC 1 audio line in, 1 audio line out
13	Form Factor	Tower
14	Power Supply	300 W or higher power supply with 85% efficiency
15	Keyboard/Mouse	USB 104 keys keyboard (Same make as PC) USB 2 Button Scroll Mouse (Same make as PC)
16	Operating System	Genuine Microsoft Windows 10 Pro 64-bit with one button recovery
17	Diagnostic Tool	BIOS Diagnostics
18	Security	TPM 2.0 Security Chip SATA port disablement (via BIOS) Serial, USB enable/disable (via BIOS Optional USB Port Disable at factory (user configurable via BIOS) Power-On password (via BIOS) Administrator password (via BIOS)
19	Compliance And Certification	Energy Star ver 6.1 for the given form factor of desktop & monitor EPEAT certified in India for the given form factor of desktop & Monitor FCC, CE, RoHS Certificate for quoted desktop & Monitor UL Certificate, Windows certificate ISO 9001, 14001,20001,27001 for OEM
20	System Weight / Volume	Weight should be less than 6 KG and volume less than 16 L
21	Support	Drivers should be available for download from OEM site for at least 3 years from the date of purchase order
22	Monitor	19.5" IPS Monitor with resolution of 1440 x 900 or higher TCO 7.0 Certified

24/05/18

REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

Laser Printer

Printer Features

Printing Type	Monochrome
Printing Technology	Laser
Available Functions	Print, Copy, Scan
Resolution Black(dpi)	600 x 600
Print Speed Black (PPM-A4)	Up to 20 ppm
Standard Memory(MB)	128MB

Copier Features

Reduction and Enlargement(Percentage)	25 to 400%
Monochrome Copy Speed (PPM-A4)	Up to 20 cpm
Copy resolution (black text)	Up to 300 x 300 dpi
Copy resolution (color text and graphics)	Up to 400 x 600 dpi
Copies, maximum	Up to 99 copies

Scanner Features

File Format	Windows Scan Software supports file format: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Mac Scan SW supports file format: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF-Searchable, RTF, TXT
Scanner Type	Flatbed
Bit Depth	24-bit

Media Handling

Paper Size	A4
Input (Plain Paper)	150
Duty Cycle(Pages per month)	8000
Output Plain Paper	100

Connectivity

USB Port	Yes
Network Ready	Standard (built-in Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)
WiFi / Bluetooth Support	Yes, built-in WiFi 802.11b/g/n
Mobile printing capability	Wireless Direct Printing
Warranty Period	1 Year

24/05/10

REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

10 KVA Online UPS

High frequency and double Conversion on-line technology
Advanced PFC & IGBT technology
Advanced battery management
Lighting and surge protection
Fan speed auto control when loads varies
Optional extension battery pack
Short circuit and overload protection
Smart RS 232 communication with monitoring software
EMI/RFI noise filter
Cold start facility
Battery Voltage 240VDC
Hot standby configuration
High input power factor
Output PF 0.8 (Optional)
Frequency 45~55Hz
Input Power Factor >0.95
Waveform Pure sine wave
Alarms= Line failure, battery low, transfer to bypass and system fault
Standards EN50091 - 1 -1; IEC62040 - 2; IEC61000 - 3 - 2; IEC61000 - 3 – 3
Battery VAH Minimum 24000
Battery Make Exide/Ameron with Stand
UPS Make: - APC/Emerson/Hitachi/Socomec/Gee M.G.

24/05/17
REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR

पार्ट–बी

कार्यालय रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कौंसिल, जयपुर

डेस्कटॉप कम्प्यूटर, एम0एफ0 लेजर प्रिंटर व यू0पी0एस0 क्रय हेतु

वित्तिय निविदा प्रपत्र

1. निविदा देने वाली फर्म का पूरा नाम व डाक पता मय मोबाईल नम्बर..

....

....

2. निविदा सूचना संख्या ....में।

3. निम्नलिखित मदों में प्रदाय के लिये दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार दरें:–

S.No.	Item Description	Specification	Quantity	Units	Basic Rate Per Unit Including All Tax	Amount
1	Desktop Computers	As per Anx. F	15	1		
2	MF Laser Printer	As per Anx. G	15	1		
3	U.P.S. 10 KVA	As per Anx. H	01	1		

Amount in words:-

a. ....

b. ....

c. ....

नोट:–

1. दरें समस्त कर/जीएसटी, खर्च, माल भाडा, इन्सटालेशन आदि सहित प्रस्तुत की जानी हैं अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
2. उपकरणों की सप्लाई/आपूर्ति कार्यालय, रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कौंसिल, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम जयपुर में की जानी है।
3. We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice Number……….. issued by the Registrar, Rajasthan Medical Council, Jaipur and also the further condtion of the said Tender Notice given the attached sheets (all the pages if which have been signed by us in token of our acceptane of the terms mentioned there in)

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

24/05/17

REGISTRAR
Rajasthan Medical Council
JAIPUR